(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 134 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, तूतीकोरिन पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/15/2006-टीपीटी</u>

तूतीकोरिन पत्तन न्यास **आवेदक**

<u>आ दे श</u>

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. टीपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 15 / 2006-टीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 के द्वारा अनुमोदित किया गया था। आदेश में दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की गई थी।

3. दिनांक 18 मार्च 2010 के माध्यम से अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु टीपीटी द्वारा दाखिल विस्तृत प्रस्ताव पर प्रशुल्क प्रकरण के रू प में पंजीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ-ही-साथ इसने वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 के आगे विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

4. जैसाकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त होगी और जैसाकि पत्तन द्वारा दाखिल प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया जा रहा है। वर्तमान दरमान की वैधता को विस्तार प्रदान करना आवश्यक हो गया है। उसके मद्दे नज़र यह प्राधिकरण टीपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष